न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 05 / 2007

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

1.श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नाथाजी घांची निवासी रिको एरिया मण्डार रोड पर स्थित कृषि फार्म मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही।

2.श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री भगवानदासजी मालिक आसोपालव एच.पी. गैस आबूरोड।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

दिनांक 03.05.2021

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.01.2007 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा मण्डार स्थित मेघवालों के वास में एयरटेल टॉवर के पास श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नाथाजी घांची की दुकान की जांच करने पहुंचने पर वहां पर अलग–अलग कम्पनी के 49 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 6 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर खाली पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता ने जरिए वकालतनाम के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 13.01.2007 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा मण्डार स्थित मेघवालों के वास में एयरटेल टॉवर के पास श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नाथाजी घांची की दुकान की जांच करने पहुंचने पर वहां पर अगल–अलग कम्पनी के 49 घरेलू गैस [illegible] गैस सिलेण्डर खाली एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं [illegible]क गैस सिलेण्डर खाली पाए गए। [illegible] उक्त सभी सिलेण्डरों को अप्रार्थी से पूछताछ करने पर बताया [illegible] किया है। जांच में अप्रार्थी के पास आसोपलाव एच.पी. गैस एजेन्सी आबूरोड [illegible] गैस डायरियां एवं अर्बु[illegible] एजेन्सी आसोपलाव गैस एजेन्[illegible] अप्रार्थी ने बताया कि [illegible]ले एक आबूरोड द्वारा जारी की गई 53 डायरी मि[illegible] वर्ष से एच.पी.सी.एल. व रिलायन्स कम्पनी के सिलेण्डरों का क्रय–विक्रय करता है। आसोपलाव गैस एजेन्सी का अवलोकन करने भी उक्त सभी सिलेण्डर कम मिले एवं

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एजेन्सी मालिक ने बिना बुकिंग व रसीद दिए अप्रार्थी को सिलेण्डर दे दिए। अप्रार्थी ने जो गैस डायरियां प्रस्तुत की उन उपभोक्ताओं में से 9 उपभोक्ताओं ने अपनी डायरी अप्रार्थी को देना बताया एवं 21 उपभोक्ताओं ने जनवरी 2007 से आरोपलाव एजेन्सी के यहां सिलेण्डरों की राशि जमा नहीं कराई एवं न ही बुकिंग कराई गई। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त 49 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 6 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर खाली को निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिए गए सभी गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के है। प्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिए जाने से सभी उपभोक्ताओं को खाने बनाने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए सभी सिलेण्डर उनके मालिकी स्वामित्व के है जिन्हें उन्हें वापस दिया जाने का आदेश प्रदान करावें।

मैने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा 49 घरेलू गैस सिलेण्डरों 14.2 किलो भरे हुए एवं 6 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर खाली का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में उनकी गैस डायरियां भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी ने कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरियां बाद में प्रस्तुत की है। अतः उक्त प्रकरण यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरियां कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही थी।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 49 घरेलू गैस सिलेण्डरों 14.2 किलो भरे हुए ... घरेलू गैस सिलेण्डर खाली एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं ... वाणि...क गैस सिलेण्डर खाली को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थी को स्थाई रूप ... लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपभोक्ताओ द्वारा उनका ... के लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश ... के क्लॉज 3/2 का उल्लघंन किया जाना नही पाया जाता है । जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि उपभोक्ताओं को दिए गए गैस सिलेण्ड़रों की रसीद इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

न्यायालय में प्रस्तुत कर गैस कम्पनी से उपभोक्ताओं की डायरियों में अंकन कराकर फोटोकॉपी प्रस्तुत करें। चूंकि इस न्यायालय द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को जमानत/सुपूर्दगीनामे पर पूर्व में दिया जा चुका है। अतः अप्रार्थी द्वारा पेश की गई जमानत/सुपूर्दगीनामे को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2021 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner